(53)

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) नजरसानी/लैण्ड रिफोर्म/5/2003/बीकानेर

अखिल भारतीय सार्वजनिक संस्थान, कलकत्ता जरिये पावर ऑफ अटॉर्नी श्री मोतीलाल राठी पुत्र श्री नारायणदासजी राठी निवासी जेकब रोड, जयपुर।

---प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, बीकानेर।
2. राजमाता श्रीमती सुशीला पत्नी स्व.डा.करणसिंह जी, भूतपूर्व नरेश बीकानेर लालगढ पेलेस, बीकानेर
3. उपवन सरंक्षक वन्यजीव प्रतिपालक, बीकानेर।

---अप्रार्थीगण

(2) नजरसानी/लैण्ड रिफोर्म/9/2003/बीकानेर

राजमाता सुशीला कुमारी पत्नी स्वर्गीय डॉ.करणसिंहजी, भूतपूर्व नरेश लालगढ पेलेस, बीकानेर

---प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बीकानेर।
2. प्रिन्सेज राजश्री कुमारी पत्नी श्री एम.जे.गोहेल लालगढ, बीकानेर , लालगढ पेलेस
3. श्री अरविन्दसिंहजी मेवाड पुत्र स्व0हिज हाईनेस महाराणा भगवतसिंहजी मेवाड पेलेस, उदयपुर।
4. श्री राजसिंह डूंगरपुर पुत्र महारावल स्व0 श्री लक्ष्मणसिंहजी निवासी डूंगरपुर। उदय विलास पेलेस
5. श्री नरीमन मानकशा मार्फत मानकशा एवं सेठना बम्बई। Died 8, दलाल स्ट्रीट Mumbai
6. महाराजा श्री नरेन्द्रसिंह जी स्व0 हिज हाईनेस महाराजा डॉ0 करणीसिंह जी, नरेन्द्र निवास, बीकानेर। जनार्दनगढ
7. प्रिन्सेज मधुलिका कुमारी पत्नी श्री राजवीरसिंहजी लालगढ, बीकानेर। लालगढ पेलेस Near Roadways Bus Stand
8. संचालक, अखिल भारतीय सार्वजनिक उत्थान संस्थान, 76 जमनालाल बजाज स्ट्रीट, कलकत्ता।
9. उपवन संरक्षक वन्य जीव प्रतिपालक, बीकानेर।

प्रमाणित प्रतिलिपि चिड़ियाघर
राजकीय प्रयोगार्थ
सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

---अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री एम. एल. जैन, सदस्य

COMPARED BY

Scanned with OKEN Scanner

(1) नजरसानी/लैण्ड रिफोर्म/5/2003/बीकानेर
(2) नजरसानी/लैण्ड रिफोर्म/9/2003/बीकानेर

(59)

उपस्थिति–

(1) नजरसानी सं0 5/03 में :–
श्री पी. एस. दशोरा, अभिभाषक प्रार्थी
श्री जे.पी.माथुर, राजकीय अभि0 अप्रार्थी सं0 1 व 3
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2

(2) नजरसानी सं0 9/03 में :–
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थिया
श्री जे.पी.माथुर, राजकीय अभि0 अप्रार्थी सं0 1 व 9
श्री पी. एस. दशोरा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 8
शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

दिनांक 04.6.05

निर्णय

ये दोनों नजरसानियां इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–8–2003 के विरूद्व राजस्थान लैण्ड रिफोर्मस एण्ड एक्यूजिशन ऑफ लेण्ड आनर्स ऐस्टेटस एक्ट, 1963 (संक्षेप में ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट) की धारा 21 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। खण्ड पीठ के एक विद्वान सदस्य श्री बी. बी. महान्ति का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण हमारे समक्ष ये दोनों नजरसानियां सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई हैं। दोनों नजरसानियों में तथ्य, परिस्थितियां और निर्धारण योग्य बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाता है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. इस न्यायालय के आदेश से भू स्वामी की ऐस्टेट की अवाप्त योग्य 16745.15 बीघा भूमि में से कलक्टर, बीकानेर द्वारा उनके निर्णय दिनांक 19–12–75 में दर्शायी गई 224 बीघा 6 बिस्वा भूमि को छोडकर शेष सभी भूमियां ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट के तहत अवाप्त करने की क्षतिपूर्ति आयुक्त के आदेश को यथावत रखा गया और इन भूमियों को ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट की धारा 7 के तहत अवाप्त करने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्व ये दोनों नजरसानियां प्रस्तुत हुई हैं।

3. दोनों नजरसानियां अन्य बिन्दुओं के साथ मुख्य रूप से निम्न आधारों/आपत्तियों के साथ प्रस्तुत की गई है जिनके सम्बन्ध में दोनों अपीलों के विद्वान वकीलों द्वारा बहस की गई है वह इस प्रकार है :–

COMPARED BY

(i) नजरसानी सं0 5/03 के विद्वान वकील का कथन है कि उनके द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र देकर उसके साथ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी गजनेर ऐस्टेट के नक्शें जिसमें इन्वेन्ट्री दर्शायी गई है को अतिरिक्त शहादत के रूप में रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं हुआ और आदेश के बिना ही अपील का निस्तारण किया गया है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 1997 डी.एन.जे. (1) राजस्थान पृष्ठ 271 (श्रीमती जमना व अन्य बनाम भुवाना) , 1997 डी.एन.जे. (1।) राजस्थान पृष्ठ 738 (मदनलाल बनाम श्रीमती रतन व अन्य) में यह निर्धारित किया हुआ है कि ऐसे प्रार्थना पत्र के निस्तारण के बिना कोई आदेश गुणावगुण पर पारित नहीं किया जा सकता।

(ii) मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा गजनेर ऐस्टेट की निजी सम्पत्ति जो कि बीकानेर ऐस्टेट के प्लान में उल्लेखित है जिसके सम्बन्ध में नक्शा भी पेश किया गया है और मण्डल के पूर्व सदस्य श्री के.एस.लोढा की निरीक्षण रिपोर्ट भी है लेकिन इस न्यायालय द्वारा उन पर विचार न कर आदेश पारित किया है उसको इन्वेन्टरी (Inventory) का भाग होते हुए भी ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट की धारा 10 (1) में शामिल न मानकर त्रुटि की है। मण्डल के पूर्व सदस्य श्री के.एस.लोढा के मौका निरीक्षण रिपोर्ट में कोई त्रुटि रही हो तो पुनः मौका देखा अथवा दिखाया जा सकता था लेकिन जो भूमियां बाउण्ड्री पिलर्स के अन्दर हैं वे निजी सम्पत्ति है व ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट की धारा 10 (1) (a) में सम्मिलित है और इस प्रकार इसको अवाप्ति से मुक्त मानना चाहिए था जिसे खण्ड पीठ ने निर्णय में अवाप्त किया जिसमें त्रुटि की है।

(iii) न्यायालय द्वारा Open enclosure के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष दिया है उस सम्बन्ध त्रुटि की है क्योंकि वे सभी Open enclosure भू स्वामी के घरेलू एवं कृषि प्रयोजनार्थ हैं। पूर्व शासकों के लिये उनके स्टेट्स के आधार पर बड़े भूखण्ड होना आम बात है। लेकिन न्यायालय ने यह मानकर कि बड़ा भू-भाग Open enclosure नहीं हो सकता उस सम्बन्ध में गम्भीर त्रुटि की है।

(iv) मण्डल के आदेश दिनांक 6-8-03 में जिला कलक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 19-12-75 जिसके द्वारा गजनेर ऐस्टेट की 224 बीघा 4 बिस्वा भूमि छोड़ी गई थी

COMPARED BY

56

उसको आधार लेकर के निर्णय पारित किया गया है जबकि यह आदेश मण्डल के आदेश दिनांक 10-3-81 द्वारा कलक्टर को अधिकार क्षेत्र न होने के कारण निरस्त हो गया और प्रकरण क्षतिपूर्ति आयुक्त, बीकानेर के पास पुनः सम्पूर्ण भूमि के रेफरेन्स हेतु भेजा गया और क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध ही मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई है इसलिये कलक्टर के द्वारा छोडी गई भूमि का सन्दर्भ देकर जो आदेश पारित किया है उसमें प्रथमदृष्टया स्पष्ट दिखाई देने वाली त्रुटि की है।

(v) न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट की धारा 2 (f) के अनुसार 'भूमि' (Land) की परिभाषा की व्याख्या करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ए.आइ.आर. 1989 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 867 (आधुनिक गृह निर्माण समिति बनाम राजस्थान राज्य), ए.आइ.आर. 1967 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 661 (उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम राजा आनन्द ब्रम्ह शाह) एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ए.आइ.आर. 1995 राजस्थान पृष्ठ 21 (राजस्थान राज्य व अन्य बनाम महेन्द्रसिंह व अन्य) तथा डब्लू. एल.एन. (यू.सी.) 1977 पृष्ठ 426 (प्रजापति गृह निर्माण समिति जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य) में 'भूमि' के सम्बन्ध में जो निर्णय दिये हैं पर गौर नहीं किया जबकि लिखित बहस में भी इनका उल्लेख किया गया था और अपील की बहस में भी इनको उद्धृत किया है जिनको पुनः नजरसानी के प्रार्थना पत्र में भी उद्धृत किया है जिसमें निर्धारित किया है कि जिस भूमि पर लगान नहीं दिया जाता जो कृषि या उसके जुडे हुए प्रयोजन के काम में नहीं ली जाती ऐसी वन, चरागाह व waste भूमि को ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट की धारा 2 (f) के अनुसार 'भूमि' नहीं माना जा सकता और 'भूमि' न होने के कारण धारा 2 (b) 'ऐस्टेट' में सम्मिलित नहीं किया जा सकता व उसे अवाप्त भी नहीं किया जा सकता। मौखिक साक्ष्य भी इसको प्रमाणित करते हैं कि इन भूमियों पर कभी कृषि नहीं हुई। गजनेर ऐस्टेट की भूमियां, जिसमें तीतरों का बाडा, सुअरों का बाडा, शूटिंग रेन्ज, गोल्फ कोर्स, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स आदि बने हुए हैं ये 'भूमि' की परिभाषा में नहीं आते। इसलिये इनकी अवाप्ति नहीं की जा सकती। उक्त न्यायिक व्यवस्थाऐं इस प्रकरण की जड तक जाती है इन्हें नजरअंदाज कर पारित निर्णय दोषपूर्ण है। यह भी तर्क

(vi) दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये कानून की व्याख्या की जाने पर

प्रतिलिपि प्रयोगार्थ
प्रतिलिपि
प्रबन्धक
मण्डल राजस्व
अजमेर
COMPARED BY

उसका पालन करना सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिये बाध्यकारी है लेकिन खण्ड पीठ ने इन न्याय व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में प्रकरण का परीक्षण ही नहीं किया अतः इस आधार पर खण्ड पीठ का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त योग्य है।

4. उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि नजरसानी का क्षेत्र बहुत सीमित है जिन बिन्दुओं पर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है चाहे वे गलत ही हों तो भी उस बिन्दु की पुनः समीक्षा व विवेचन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ए.आइ.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट 455 (श्रीमती गीरा भांजा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी), 1998 आर.आर.डी. पृष्ठ 424 (गोविन्द पुजारा बनाम मोहनलाल व अन्य) में दिये गये न्याय दृष्टान्तों को भी उद्धरित किया। जहां तक पूर्व शासक (भू-स्वामी) द्वारा धारित ऐस्टेट पर लगान असेस न होने या न देने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट की धारा 4 व 5 में व्यवस्था है कि जिस भूमि पर लगान निर्धारित नहीं है तो उसका लगान निर्धारित कर के लगान लिया जा सकता है लेकिन इस आधार पर ऐसे ऐस्टेट की भूमियों को अवाप्ति से मुक्त नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया कि आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई 'फोरमल' आदेश न भी दिया गया हो लेकिन जो दस्तावेज इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है उस दस्तावेज के सम्बन्ध में निर्णय में विवेचन कर लिया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है अतः यह नजरसानी का आधार नहीं हो सकता।

5. हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं रिकार्ड एवं विधिक स्थिति का अवलोकन किया। निर्णय के पेरा 3 में उल्लेखित आधारों/आपत्तियों के सम्बन्ध में हमारा निर्णय इस प्रकार है।

6. जहां तक प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति सं0- (i) का प्रश्न है, यह सही है कि इस प्रार्थना पत्र पर पृथक से कोई विशेष आदेश पारित नहीं किया गया है किन्तु आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे के सन्दर्भ में विस्तृत विवेचन निर्णय दिनांक 6-8-2003 के पेरा 8 में विस्तृत रूप से दिया गया है। इस दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ही विवेचन किया गया है इसका अर्थ यही है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अतिरिक्त साक्ष्य को रिकार्ड पर लेकर उसके

COMPARED BY

सम्बन्ध में विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है व यह निष्कर्ष दिया गया है कि इस नक्शे से यह प्रमाणित नहीं होता कि यह नक्शा ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट की धारा 2 (डी) के प्रावधान के अनुसार किसी समझौते का भाग हो जिस पर भारत सरकार के सक्षम अधिकारी व पूर्व शासक करणीसिंह के बीच हस्ताक्षर हुए हों व जिसे भारत सरकार ने अनुमोदित किया हो इसलिये आपत्ति सं0 (i) स्वीकार योग्य नहीं है और यह नजरसानी का आधार नहीं बन सकता।

7. इसी प्रकार आपत्ति सं0 (ii) के सम्बन्ध में भी ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट की धारा 2 (डी) के इन्वेन्टरी सम्बन्धी प्रावधानों के सन्दर्भ में इस न्यायालय के निर्णय के पेरा 8 में विस्तृत निर्णय किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते न ही इस पर पुनः विवेचना करना उचित समझते हैं।

8. आपत्ति सं0 (iii) जो Open enclosure के बारे में उठाई गई है उसके सम्बन्ध में इस न्यायालय के निर्णय के पेरा 10 से 12 में विवेचन कर निश्चित निष्कर्ष दिया गया है जिसमें भी किसी प्रकार की रिकार्ड पर स्पष्ट दिखाई देने वाली त्रुटि नहीं पाई जाती। निष्कर्ष यदि गलत (wrong) भी हैं तो यह अपील का आधार हो सकता है नजरसानी का आधार नहीं।

9. जहां तक यह आपत्ति/आधार सं0 (iv) कि निर्णय में कलक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 19–12–75 द्वारा 224 बीघा 4 बिस्वा भूमि को छोड़े जाने का आधार लिया गया है और इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 6–8–2003 के पेरा 10, 11 व 16 में सन्दर्भ आया है जबकि यह आदेश मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया है। यह सही है कि कलक्टर, बीकानेर द्वारा पूर्व शासक की सगी स्थानों पर स्थित 'ऐस्टेट' के सम्बन्ध में पूर्व में जो निर्णय दिनांक 19–12–75 पारित किया है वह मण्डल के निर्णय दिनांक 10–3–81 से गजनेर ऐस्टेट की हद तक निरस्त कर दिया गया है। मण्डल के निर्णय दिनांक 10–3–81 में यह निर्धारित किया गया कि :–

"In the result the appeal is allowed, the order of the learned Collector insofar as Gajner estate is concerned, he shall make a reference to the compensation Commissioner as envisaged in sub-section (2) of section 10 of the Act."

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोजनार्थ
सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
COMPARED BY

ऐसी स्थिति में गजनेर ऐस्टेट के सन्दर्भ में कलक्टर के आदेश दिनांक 19–12–75 द्वारा छोडी हुई भूमियों को ही ध्यान में रख कर और उसका सन्दर्भ देकर प्रकरण का निरतारण किया उसमें रिकार्ड पर स्पष्ट दिखाई देने वाली त्रुटि है जबकि मण्डल के उक्त आदेश के सन्दर्भ में कलक्टर द्वारा वर्ष 1996 में क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया और क्षतिपूर्ति आयुक्त ने आदेश दिनांक 14–10–96 पारित किया।

10. इसी प्रकार आधार सं0 (v) कि गजनेर ऐस्टेट की कौनसी सम्पत्ति ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट की धारा 2 (f) 'भूमि' (Land) के अन्तर्गत मानी जानी चाहिए व कौनसी भूमि नहीं इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा अपील की बहस के दौरान लिखित बहस में व मौखिक बहस में दर्शायी गई माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'भूमि' की परिभाषा के सम्बन्ध में दी गई न्याय व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में परीक्षण किया जाना आवश्यक था। मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा केवल ऐस्टेट एक्यूजिशन एक्ट की धारा 2 (f) के सन्दर्भ में अपने निर्णय के पेरा 9 में व्याख्या अवश्य की है लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 2 (f) की व्याख्या (interpretation) करते हुए उक्त उद्धृत निर्णयों में जो व्यवस्थाऐं दी हैं उसके सन्दर्भ में परीक्षण कर निर्णय दिया जाना आवश्यक था। इन व्यवस्थाओं में कुछ परिस्थितियों में वन, चरागाह, बंजर (waste) भूमि को धारा 2 (f) के अधीन 'भूमि' में सम्मिलित नहीं किया गया व उसे धारा 2 (b) के अनुसार ऐस्टेट नहीं माना गया। हम विद्वान वकील प्रार्थीगण के इस तर्क से सहमत हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई न्याय व्यवस्थाऐं जो कि प्रकरण के निर्धारण में कानूनी आधार है और प्रकरण की जड तक जाती है अतः प्रकरण के निरतारण में उनके सन्दर्भ में प्रकरण से संबंधित भूमियों का परीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेकिन इस न्यायालय द्वारा त्रुटिवश माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के सन्दर्भ में परीक्षण नहीं किया गया। इस दृष्टि से हमारा मत है कि पूर्व पारित निर्णय दिनांक 6–8–2003 में त्रुटि (Mistake) रह गई है जबकि इस न्यायालय के लिये यह बाध्यकारी था कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई न्याय व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में प्रकरण का परीक्षण किया जाता। नजरसानी मेमों में इन न्याय व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण अंशों को उद्धृत किया गया है

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ
सत्य प्रतिलिपि
निदेशक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
COMPARED BY

60

उसको दृष्टिगत रखते हुए हम यह उचित समझते हैं कि इस प्रकरण का न्याय व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में परीक्षण किया जाना आवश्यक है मैं एकल पीठ का सदस्य अब इसका परीक्षण नहीं कर सकता। इसे खण्ड पीठ द्वारा ही पुनः देखा जा सकता है। उक्त दृष्टि से विद्वान वकील प्रार्थीगण की आपत्ति सं० (v) स्वीकार योग्य है और इस कारण नजरसानी को स्वीकार करने का पर्याप्त आधार है। नजरसानी के लिये आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. में जो आधार बताये गये हैं उसके अनुसार यदि निर्णय में कोई ऐसी त्रुटि (Mistake) हो गई हो या अभिलेख के मुख पर ही स्पष्ट दिखाई देने वाली त्रुटि (error on the face of record) हो या कि अन्य कोई पर्याप्त (Sufficient) कारण हों तो नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण की आपत्ति सं० (iv) एवं (v) में जो नजरसानी स्वीकार करने के आधार लिये गये हैं वे निर्णय में स्पष्ट दिखाई देने वाली त्रुटि के कारण पर्याप्त आधार हैं इसलिये इसी आधार पर यह नजरसानी स्वीकार योग्य है।

11. फलस्वरूप उक्त दोनों नजरसानियां स्वीकार की जाती हैं। इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 6-8-2003 निरस्त किया जाता है। अपील सं० 115/96 व 4/97 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं, पत्रावलियां दर्ज रजिस्टर की जाकर पुनः बहस हेतु मेरे अतिरिक्त किसी खण्ड पीठ के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम. एल. जैन)
सदस्य

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ

सत्य प्रतिलिपि
5/7/05
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY
5/7/05
5/7